नवीन शर्मा
9829210425

207

किस्म मुकदमा CMNC
मुकदमा नम्बर 157/2024
पक्षकारों का नाम अमेलकेर स्टील प्रा० लि० / यस बैंक
तारीख फैसला / पेशी 25/7/24

प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र का क्रमांक 1905
प्रतिलिपि का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तारीख 29/07/24
फोटो स्टेट किये हुए पृष्ठों की संख्या 12 प०
फोटो स्टेट शुल्क रुपये 12.00 प्रतिलिपि के टिकट 6=00
फोटो स्टेट तैयार करने का नाम RSP
फोटो स्टेट प्रतिलिपि दिये जाने की निश्चित तारीख 31-07-24
फोटो स्टेट प्रतिलिपि तैयार किये जाने की तारीख
फोटो स्टेट प्रतिलिपि दिये जाने की तारीख
प्रतिलिपि को नोटिस दिये जाने की तारीख

प्रतिहस्ताक्षर

31-7-24
प्रमाणित अधिकारी
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
वाणिज्यिक न्यायालय,जयपुर
महानगर–द्वितीय (राज.)

वाणिज्यिक न्यायालय क्रम सं0– 03, जयपुर महानगर द्वितीय

पीठासीन अधिकारी – अनु अग्रवाल

(जिला न्यायाधीश)

आपत्ति प्रार्थना–पत्र संख्या – 47/2024
सी.आई.एस. नंबर – 157/2023
सी.एन.आर. नंबर – RJJT1A-001686-2023

1. अम्बेकेश्वर स्टील प्रा.लि., बी–228, बगरू इण्डस्ट्रीयल एरिया, बगरू, जयपुर–302007, जरिए ड़ायरेक्टर।
2. श्रीमती राधिका अग्रवाल पत्नि श्री राहुल अग्रवाल, ए–21–ए, रामनगर, शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान 302016।
3. अम्बेकेश्वर स्टील्स बी–228, बगरू इण्डस्ट्रीयल एरिया, बगरू, जयपुर–302007 एवं ए–21–ए, रामनगर, शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान 302016।
4. श्री राहुल अग्रवाल, अम्बेकेश्वर स्टील्स प्रा.लि., बी–228, बगरू इण्डस्ट्रीयल एरिया, बगरू, जयपुर–302007 एवं ए–21–ए, सनवाडिया हाउस, रामनगर, जयपुर–302006।

.....प्रार्थीगण/अदावाकर्तागण

बनाम

1. यस बैंक लि. 18 फ्लोर, एम्पायर टॉवर, रिलायबिल टेक पार्क, क्लाउड सिटी कैम्पस, प्लॉट नं. 31, थाने, बेलापुर रोड, नवी मुम्बई–400708, महाराष्ट्र जरिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता।
2. श्री अयाज मोहम्मद कुरेशी, रिजन आरबीट्रल अवार्ड लोकेशन राजस्थान पंच महोदय।

.....विपक्षीगण/दावाकर्तागण

केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा वाणिज्यिक न्यायालय जयपुर महानगर द्वितीय (राज.)
प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर
महानगर–द्वितीय (राज.)

<u>आपत्ति प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 34 मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 विरूद्ध अवार्ड दिनाक 07.04.2023</u>

उपस्थित :–

1. श्री सत्येन्द्र कुमार सक्सेना, श्री अभिषेक सक्सेना, श्री योगेन्द्र सिंह व श्री पुष्पेन्द्र कुमावत अधिवक्तागण प्रार्थी/अदावाकर्ता।
2. श्री विक्रम सिंह नाथावत, श्री नवीन शर्मा व श्री भरत चौहान अधिवक्तागण विपक्षी/दावाकर्ता की ओर से।

<u>आदेश</u> **दिनांक 25.07.2024**

अभिवचन

प्रार्थीगण/आपत्तिकर्तागण/अदावाकर्तागण **(जिसे आगे इस आदेश में अदावाकर्तागण के रूप में उल्लेखित किया जायेगा।)** की ओर से एक आपत्ति प्रार्थना–पत्र विपक्षी/दावाकर्ता **(जिसे आगे इस आदेश में दावाकर्ता के रूप में उल्लेखित किया जायेगा।)** के विरूद्ध धारा 34 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 **(जिसे आगे इस आदेश में अधिनियम 1996 के रूप में उल्लेखित किया जायेगा।)** में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया कि अदावाकर्ता संख्या 1 कम्पनी भारतीय कम्पनीज अधिनियम के तहत पंजीकृत होकर कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा द्वारा पारित प्रस्ताव में दावाकर्तागण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। श्रीमती राधिका अग्रवाल कम्पनी की डायरेक्टर हैं, जिन्हें प्रकरण के समस्त तथ्यों की जानकारी है। अदावाकर्तागण द्वारा जब दावाकर्ता

COMMERCIAL COURT No.3 JAIPUR METRO-II

न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय क्रम–3
जयपुर महानगर द्वितीय

संख्या 1 से ऋण लिया गया था, तब दावाकर्ता संख्या 1 ने अदावाकर्तागण से खाली प्रिंटेड दस्तावेजात पर हस्ताक्षर करवा लिए गए थे तथा अदावाकर्तागण के आपत्ति करने पर दावाकर्ता संख्या 1 एक द्वारा यह बताया गया था कि यह बैंक की प्रक्रिया है, जो शर्तें आपसे तय हुई हैं, उन्हीं शर्तों को खाली कागजों पर भर लिया जाएगा। अदावाकर्तागण द्वारा दावाकर्ता संख्या 1 को किश्तों की अदायगी किए जाने के बावजूद भी दावाकर्ता संख्या 1 द्वारा अत्यधिक ब्याज व शास्तियों की मांग की गई। दावाकर्ता संख्या 1 द्वारा कई बार तो अदावाकर्तागण को रसीद जारी की जाती थी तथा कई बार नहीं की जाती थी। कई बार दावाकर्ता संख्या 1 के अधिकारी ऑफिस से रसीद जारी करने का कथन करते हुए नकद राशियां प्राप्त कर लेते थे तथा रसीद जारी नहीं की जाती थी। दावाकर्ता संख्या 1 ने निष्पादित ऋण अनुबंध की रूह में अवैधानिक रूप से विवाद उत्पन्न कर मध्यस्थ कार्यवाही प्रारम्भ कर दी तथा दावाकर्ता संख्या 1 से मिलीभगत होने के कारण दावाकर्ता संख्या 2 ने मनमाने तौर पर विधि विरूद्ध तरीके से अदावाकर्तागण के विरूद्ध दिनांक 07.04.2023 को एकपक्षीय अवार्ड पारित कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अदावाकर्तागण द्वारा आपत्ति प्रार्थना–पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. माननीय एकल मध्यस्थ द्वारा अदावाकर्तागण के विरूद्ध पारित अवार्ड दिनांक 07.04.2023 मनमाना, विधि विरूद्ध व अनुचित है।

2. दावाकर्ता संख्या 1 द्वारा बिना अदावाकर्तागण की सहमति से दावाकर्ता संख्या 2 अयाज मोहम्मद को एकल पंच नियुक्त किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न न्यायनिर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार मध्यस्थ अनुबंध में हितबद्ध किसी एक पक्षकार द्वारा एकल पंच की नियुक्ति किया जाना Void abinition and null है। चूंकि हस्तगत मामले में अदावाकर्ता संख्या 1 ने जिस आरबीट्रल एग्रीमेंट के आधार पर अदावाकर्ता संख्या 2 को एकल पंच नियुक्त किया है, उसमें वह स्वयं हितबद्ध है, इसलिए उक्त अवार्ड Void abinition and null है।

3. प्री–सॉल्व 360 के द्वारा अदावाकर्ता संख्या 2 को मध्यस्थ नियुक्त किया गया है, परन्तु माननीय एकल मध्यस्थ द्वारा सम्पूर्ण अवार्ड में यह कहीं उल्लेखित नहीं किया गया है कि प्री–सॉल्व 360 को किस कानून के अन्तर्गत पंच नियुक्ति का अधिकार है। केवल माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को ही पंच नियुक्ति का अधिकार है। दावाकर्ता संख्या 1 द्वारा 16 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगाया गया है, जो ब्याजदर कभी भी तय नहीं हुई थी। दावाकर्ता संख्या 2 द्वारा पंच कार्यवाही की सूचना कभी भी अदावाकर्तागण को नहीं दी गई थी। अवार्ड में सूचना वॉट्स–ऐप के जरिए दिया जाना बताया गया है, जो कानून के खिलाफ है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वॉट्स–एप के जरिए कराई गई तामील को अवैध माना है।

4. दावाकर्ता संख्या 2 द्वारा इलेक्ट्रोनिक कॉपीज के आधार पर निर्णय देना पूर्णतः गैरकानूनी है, साक्ष्य अधिनियम के तहत इलेक्ट्रोनिक कॉपीज का सर्टिफिकेट पेश होना अनिवार्य है। ऋण अनुबंध कम स्टाम्प पर निष्पादित होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है। दावाकर्ता संख्या 1 ने मनमाने तौर पर फर्जी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पेश किया गया है। दावाकर्ता संख्या 1 द्वारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को साक्ष्य में ग्राह्य हेतु धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाण–पत्र एवं सेक्शन 2ए बैंकर्स बुक्स एवीडेंस एक्ट के अन्तर्गत प्रमाण–पत्र पेश करना आवश्यक होता है, जोकि दावाकर्ता संख्या 1 द्वारा पेश नहीं किया गया है। विपक्षी बैंक की ओर से बोर्ड ऑफ मीटिंग की कार्यवाहियों के पश्चात् ही नियुक्त किसी सक्षम अधिकारी द्वारा कोई विधिक कार्यवाही की जा सकती है, परन्तु प्रश्नगत पंचाट में

केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा वाणिज्यिक न्यायालय जयपुर महानगर–द्वितीय (राज.)
सत्यमेव जयते
प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर
महानगर–द्वितीय (राज.)

COMMERCIAL COURT No.3
सत्यमेव जयते
JAIPUR METRO-II

25/7/24
न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय क्रम–3
जयपुर महानगर द्वितीय

विपक्षी बैंक की ओर से बैंक के कर्मचारी ने किस हैसियत में एवं किस बोर्ड ऑफ रिज्योल्युशन के अन्तर्गत कार्यवाहियां संस्थित की है, उक्त तथ्य सम्पूर्ण अवार्ड में कहीं अंकित नहीं है।

एकल मध्यस्थ द्वारा पंचाट जयपुर में पारित किए जाने से तथा पंचाट राशि पांच लाख रूपये से अधिक होने के कारण माननीय न्यायालय को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। उक्त अवार्ड दिनांक 07.04.2023 को पारित किया गया था, जिसकी जानकारी अदावाकर्तागण को होने पर अदावाकर्तागण द्वारा अविलम्ब आदेश की प्रति हेतु आवेदन कर प्रतिलिपि प्राप्त की, जिससे प्रार्थना–पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः आपत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत निवेदन है कि माननीय एकल मध्यस्थ द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 07.04.2023 को अपास्त किया जाए।

2. उक्त आपत्ति प्रार्थना–पत्र का विपक्षी/दावाकर्ता की ओर से जवाब पेश कर कथन किया गया कि धारा 34 अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत आपत्ति का क्षेत्र बहुत सीमित है। गुणावगुण पर कोई आपत्ति नहीं की जाकर केवल मात्र धारा 34 अधिनियम, 1996 में वर्णित सीमित आधारों पर ही अवार्ड को चुनौती दी जा सकती है। अदावाकर्तागण द्वारा दावाकर्ता संख्या 1 से ऋण लिया गया था, परन्तु अदावाकर्तागण की यह आपत्ति रही कि ऋण लेते समय उनसे खाली प्रिंटेड फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए गए थे, जबकि निष्पादन के समय ही ऋण दस्तावेजात की एकप्रति अदावाकर्तागण को दे दी गई थी, जिसमें अंकित दर से ब्याज व ऋण अवधि के आधार पर मासिक किश्तों की राशि का निर्धारण किया गया। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए थे व बाद में मनगढंत ढंग से अत्यधिक ब्याजदर आदि अंकित की गई थी। अगर वास्तव में ऐसा था तो उक्त प्रकार से किश्तों, ब्याज व शास्ति ब्याज की अदायगी प्रार्थीगण द्वारा नहीं की गई होती व तत्समय ही आपत्ति कर ली जाती या नोटिस देकर या किसी प्राप्त नोटिस के उत्तर में यह आपत्ति की जाती, परन्तु ऐसा नहीं किया जाकर प्रथम बार यह आपत्ति उक्त आपत्ति प्रार्थना–पत्र में ली गई है। अदावाकर्तागण की ओर से आज दिनांक तक यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि पक्षकारान के मध्य जो शर्तें मौखिक रूप से तय हुई थी, वे क्या–क्या हैं तथा अदावाकर्तागण की ओर से यह भी कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है कि अदावाकर्तागण द्वारा अमुक माह की किश्त की राशि दावाकर्ता संख्या 1 को नकद दी गई थी, जिसकी रसीद दावाकर्ता संख्या 1 द्वारा नहीं दी गई है। यदि ऐसा होता तो इस आशय की आपतित नोटिस या जवाब नोटिस में आज से पहले ही ली जा सकती थी, परन्तु यह ऐसी कोई आपत्ति अदावाकर्तागण की ओर से नहीं ली गई है। इसके विपरीत जो भी अदायगी अदावाकर्तागण द्वारा की गई थी, उन सब की प्रविष्ठियां दावाकर्ता संख्या 1 द्वारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में तत्समय ही कर दी गई थी। जहां तक कम्प्यूटर से जनरेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी या बैंकर्स बुक्स एवीडेंस एक्ट के तहत जारी प्रमाण–पत्र के बिना में लेने की आपत्ति का प्रश्न है, तो इस संबंध में इतना अंकित करना ही पर्याप्त है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 के अनुसार साक्ष्य संबंधी कोई प्रावधान पंच कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं, इस स्थिति को आर्बीट्रेशन एक्ट, 1996 की धारा 19 में भी स्पष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा अदावाकर्तागण की अनुबंध के स्टाम्पित नहीं होने बाबत् आपत्ति भी निराधार है क्योंकि स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत देय स्टाम्प ड्यूटि पर ही अनुबंध निष्पादित है।

3. भारत सरकार के Ministry of Law and Justice, Department of Legal

केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा वाणिज्यिक न्यायालय जयपुर महानगर द्वितीय (राज.)
सत्यमेव जयते
प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर
महानगर–द्वितीय (राज.)
COMMERCIAL COURT No.3
JAIPUR METRO-II
सत्यमेव जयते

25/7/24
न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय क्रम–3
जयपुर महानगर द्वितीय

Affairs, New Delhi ने एफ. नम्बर ए–60011/97/2018 एडमिन– III (एल.ए.) दिनांक 18.09.2020 को एक सूची ऐसी ए.डी.आर. केडर की जारी की थी, जो अपनी वेबसाईट पर ऑन लाईन डिसप्यूट रिजयोल्युशन (ओ.डी.आर.) सेवाओं सहित सभी Alternative Dispute Resolution (ADR) की सेवाए दे रही थी। इस सूची में Preslov360 भी एक ADR सेन्टर के रूप में सूचीबद्ध एवं शामिल है, जो किसी भी पक्ष से संबद्ध या हितबद्ध नहीं होकर पार्टीज को प्रशासनिक/तकनीकी सर्पोट, किसी हित के टकराव के बिना, प्रदान करती है। विपक्षी बैंक ने भारत सरकार द्वारा जारी इस सूची पर विचार किया और विभिन्न ADR/ODR प्लेटफॉर्मस को Evaluate करने के बाद Presolv 360 ओ.डी.आर. प्लेअफॉर्म, जो कि किसी भी पक्षकार से हित ना रखने वाला होकर एक निष्पक्ष व स्वतंत्र ए.डी.आर. केन्द्र है और भारत सरकार के लॉ एण्ड जस्टिस मंत्रालय में Recognized and listed है, को उपयुक्त पाया। इसके उपरांत दावाकर्ता संख्या 1 ने अदावाकर्तागण दिनांक 31.10.2022 को समस्त तथ्य अंकित करते हुए अधिनियम, 1996 की धारा 21 के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित किया, जिसमें यह भी स्पष्ट अंकित कर दिया था कि बकाया राशि अदा नहीं करने व कोई आपत्ति नहीं आने पर विवाद/मतभेद के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा Recognized and listed स्वतंत्र व निष्पक्ष ए.डी.आर. केन्द्र Presolv 360 द्वारा कार्यवाही Administered की जाएगी। उक्त नोटिस अदावाकर्तागण को प्राप्त हो गया, परन्तु उनके द्वारा न तो बकाया राशि अदा की गई ना ही उक्त पत्र का कोई उत्तर प्रेषित कर किसी प्रकार की कोई आपत्ति की। ऐसी स्थिति में दावाकर्ता संख्या 1 द्वारा स्वयं अपने स्तर पर किसी एकल पंच की नियुक्ति नहीं कर अधिनियम, 1996 की धारा 2(6) व 6 के प्रकाश में दिनांक 16.11.2022 को Presolv360 को निवेदन पत्र भेजा, जिसमें भी स्पष्ट अंकित किया गया है कि Administrative & Technical assistance प्रदान करते हुए कार्यवाही पक्षकारों के आधार पर पंचों के पेनल में से एक स्वतंत्र, सक्षम व योग्य पंच द्वारा ही की जावे। उक्त निवेदन पत्र प्राप्त होने पर Presolv360 पर प्रकरण आर्बीट्रेशन के लिए रजिस्टर्ड हुआ। उक्त पैनल काफी बड़ा होकर इसमें सेवानिवृत न्यायाधीश व अन्य प्रोफेशनल व्यक्ति शामिल है। यह पैनल किसी पक्षकार द्वारा बनाया हुआ नहीं है और पेनल का कोई भी सदस्य/व्यक्ति विवाद के पक्षकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित या हितबद्ध नहीं है। मामले की प्रकृति, पंच की योग्यता, उपलब्धता आदि के आधार पर प्रारम्भिक तौर पर पेनल में से अदावाकर्ता संख्या 2 श्री अयाज मोहम्मद कुरैशी जोकि राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के 35 वर्षों के अनुभव वाले सेवानिवृत जिला न्यायाधीश है, को एकल पंच रखे जाने वाले पेनल में से एकल पंच बनाया गया तथा मामले के सभी तथ्यों के साथ प्रकरण के रजिस्ट्रेशन व उक्त नियुक्ति की सूचना हेतु Presolv360 द्वारा दिनांक 16.11.2022 को रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्बीट्रेशन सूचना प्रार्थीगण को भेजी, जो उन्हें मिल भी गई। उक्त पत्र में पक्षकारान को यह स्वतंत्रता एवं विकल्प भी दिया गया कि वे चाहे तो आर्बीट्रेटर्स के पेनल में से दूसरा आर्बीट्रेटर भी आपसी सहमति से चुन सकते हैं तथा ऐसा कर Presolv360 को निवेदन कर सकते हैं। एसा नहीं करने पर उक्त आर्बीट्रेटर को ही नियुक्त कर दिया जाएगा।

4. उक्त सूचनापत्र के संबंध में किसी भी पक्षकार द्वारा आपत्ति नहीं किए जाने पर श्री अयाज मोहम्मद कुरैशी की नियुक्ति पूर्ण हो जाने पर उनसे अधिनियम, 1996 की धारा 12 सपठित अनुसूची 5 व 7 के संदर्भ में आवश्यकता प्रकटीकरण/सहमति आदि प्राप्त की गई। तत्पश्चात माननीय एकल मध्यस्थ द्वारा दिनांक 21.11.2022 को पंच कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा किए गए प्रकटीकरण, द

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर
महानगर–द्वितीय (राज.)

COMMERCIAL COURT No.3 JAIPUR METRO-II

न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय क्रम–3
जयपुर महानगर द्वितीय

ोषणा व सहमति का उल्लेख करते हुए क्लेम प्रस्तुत करने से लेकर अवार्ड होने तक की सभी स्टेज के लिए टाईम–लाईन निर्धारित की गई। उक्त टाईम लाईन की पालना में दिनांक 01.12.2022 को क्लेम प्रस्तुत हुआ व इसके बाद 15 दिवस में जवाब आना था, परन्तु उक्त अवधि में जवाब नहीं आने पर माननीय एकल मध्यस्थ द्वारा अदावाकर्तागण को दिनांक 17.12.2022, 16.01.2023, 19.01.2023, 03.02.2023, 04.02.2023 व 19.02.2023 तक का अवसर दिया गया, परन्तु इतने अवसरों के बाद भी जब अदावाकर्तागण द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया तो माननीय एकल पंच महोदय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही जारी रखते दिनांक 07.04.2023 को अवार्ड पारित कर दिया गया एवं अवार्ड पारित कर ई–हस्ताक्षरित अवार्ड प्रकरण के पक्षकारों को अधिनियम, 1996 की धारा 31(5) के उद्देश्य से इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्रेषित किया गया, जो पक्षकारों को तत्समय ही डिलीवर होकर प्राप्त हो गया था। यहां अदावाकर्तागण की यह आपत्ति निराधार है, उन्हें कभी किसी कार्यवाही की सूचना कानूनी रूप से दावाकर्ता संख्या 2 द्वारा नहीं दी गई तथा वॉट्सऐप पर सूचना देना भी पूर्णतया असत्य है क्योंकि अभिलेख से यह स्पष्ट प्रकट है कि अदावाकर्तागण को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से हर स्तर पर उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रोनिक एड्रेस पर सूचनाएं, आदेशिकाएं आदि भेजी गई हो, जो उन्हें हर बार मिली भी है, उसका प्रमाण यह है कि अदावाकर्तागण ने ऐसी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्राप्त अवार्ड के आधार पर ही यह प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले में आवेदन हार्डकॉपी में है, जबकि मास्टर टर्मस एण्ड कंडीशन्स वेबसाईट पर सोफ्ट कॉपी में उपलब्ध है, जिसे पढ़, समझ व स्वीकार करके ही पूर्णता प्रदान की गई है। उक्त मामले में ए.डी.आर. सेन्टर Presolv360 जोकि वेबसाईट के जरिए ओ.डी.आर. सेवाएं प्रदान करता है के द्वारा इस मामले में हुई हर कार्यवाही की सूचना जरिए ई–मेल व वाट्सऐप पर इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्रेषित कर यह सुनिश्चित किया कि वे सम्पूर्ण सूचनाए संलग्न दस्तोवजात सहित प्रेषिति को डिलीवर हो गई, वे उनके द्वारा खोल कर पढ़ ली गई व इन सबका रिकॉर्ड संबंधित विधि के अपेक्षित सभी मापदण्डों को पूर्ण करते हुए रखा गया कि किस तिथि को कितने बजे प्रेषित की गई, डिलीवर हुई व ओपन की गई। अदावाकर्तागण ने ऋण आवेदन पत्र में ई–मेल आईडी "ambekeshwarsteels@gmail.com" तथा वाट्सएप मोबाईल नं. 9829014498 एवं 9413342105 उपलब्ध करवाए थे, जिन पर ही समस्त सूचनाएं, क्लेम, दस्तावेज व अवार्ड प्रेषित किए गए थे। इस प्रकार अधिनियम, 1996 की धारा 4 के प्रकाश में अदावाकर्तागण को उक्त अवार्ड को चुनौती देने हेतु प्राप्त हर अधिकार का अभित्यजन हो चुका है। अतः आपत्ति प्रार्थना सव्यय खारिज किए जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

बहस

5. बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी, माध्यस्थ रिकॉर्ड व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

6. बहस में उभय पक्षकारान ने वे ही तर्क दिए, जो प्रार्थना–पत्र और जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित हैं।

निष्कर्ष

7. धारा 34(3) अधिनियम 1996 के तहत अवार्ड से व्यथित पक्षकार को अवार्ड की हस्ताक्षरित प्रति स्वयं को प्राप्त होनें की तिथि के 3 माह के भीतर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होता है। तीन माह के भीतर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही कर पाने का पर्याप्त कारण दर्शित करने पर न्यायालय 30 दिवस की

केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा वाणिजियक न्यायालय जयपुर महानगर द्वितीय (राज.)
सत्यमेव जयते
प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर
महानगर–द्वितीय (राज.)
COMMERCIAL COURT No.3
JAIPUR METRO-II
सत्यमेव जयते

न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय क्रम–3
जयपुर महानगर द्वितीय

अतिरिक्त अवधि में आपत्ति प्रार्थना पत्र विचारार्थ ग्रहण कर सकता है। आपत्ति प्रार्थना पत्र के धारा 34(3) अधिनियम 1996 में वर्णित परिसीमा अवधि के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करने के संदर्भ में रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय एकल मध्यस्थ द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 07.04.2023 के विरूद्व यह आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 06.05.2023 को प्रस्तुत किया गया है, जो निश्चित रूप से धारा 34(3) में प्रदत्त परिसीमा अवधि के भीतर है।

8. अदावाकर्तागण ने अवार्ड को मुख्यतः निम्नांकित आधारों पर चुनौती प्रदान की है :–

1. मध्यस्थ की नियुक्ति एकपक्षीय रूप से की गई थी, जिसमें अदावाकर्तागण की कोई सहमति नहीं है।
2. माननीय एकल मध्यस्थ द्वारा सम्पूर्ण अवार्ड में यह कहीं उल्लेखित नहीं किया गया है कि प्री–सॉल्व 360 को किस कानून के अन्तर्गत पंच नियुक्ति का अधिकार है।
3. दावाकर्ता संख्या 2 द्वारा पंच कार्यवाही की सूचना कभी भी अदावाकर्तागण को नहीं दी गई थी। अवार्ड में सूचना वॉट्स–ऐप के जरिए दिया जाना बताया गया है, जो कानून के खिलाफ है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वॉट्स–एप के जरिए कराई गई तामील को अवैध माना है।
4. दावाकर्ता संख्या 1 द्वारा 16 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगाया गया है, जो ब्याजदर कभी भी तय नहीं हुई थी।

11. अदावाकर्तागण द्वारा उठाए गए आधारों पर क्रमवार विचार करें तो अदावाकर्तागण का प्रथम आपत्ति मध्यस्थ की एकपक्षीय नियुक्ति के संदर्भ में हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यहां यह उल्लेखित किया जाना न्यायसंगत है कि दावाकर्ता संख्या 1 द्वारा अदावाकर्ता को दिनांक 31.10.2022 को जरिए ई–मेल (ambekeshwarsteels@gmail.com) नोटिस प्रेषित कर यह सूचित किया गया था कि "That you are hereby called upon to forthwith pay to my client, the outstanding amount of Rs. 16,20,266.50 within 7 days from the date of receipt of this notice, falling which, my client shall be constrained to initiate appropriate legal proceedings including but not limited to civil and/ or criminal proceedings and / or police complaint, entirely at your cost and consequences which could ental imprisonment, hefty fines, and attachment and sale of your property/asset.

That, as per the agreement, any dispute, controversy and / or claim shall be resolved by arbitration, and accordingly, with a view to provide each party full opportunity to present its case, fairly and conveniently, the use of an online dispute resolution (ODR) platform for conducting arbitration online administered by a neutral ODR institution was evaluated. After evaluating different ODR platforms and upon being satisfied that Presolv360, which is an independent ODR platform recognized and enlisted by the Department of justice, government of India, is a neutral institution that provides complete administrative and technical support to the parties to conduct the proceedings online, and has no interest in the outcome of the dispute and there being no confict of interest, the dispute shall be resolved by arbitratiion administered electronically by presolv360 in accordance with its dispute resolution Rules"

अदावकार्तागण द्वारा उक्त नोटिस का कोई जवाब दावाकर्ता संख्या 1 को प्रेषित नहीं किया गया था। इसके उपरांत दावाकर्ता संख्या 1 द्वारा Presolve360 को दिनांक 16.11.2022 को नोटिस प्रेषित किया जाकर माध्यस्थ कार्यवाही हेतु मध्यस्थ नियुक्त करने बाबत् निवेदन किया।

25/7/24
न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय क्रम–3
जयपुर महानगर द्वितीय

केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा वाणिज्यिक न्यायालय जयपुर महानगर द्वितीय (राज.)
सत्यमेव जयते
प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर
महानगर द्वितीय (राज.)
COMMERCIAL COURT No.3
JAIPUR METRO-II
सत्यमेव जयते

Presolve360 द्वारा दिनांक 16.11.2022 को रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्बीट्रेशन की सूचना अदावाकर्तागण को प्रेषित की गई, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध Presolve360 अदावाकर्तागण को प्रेषित किए गए ई–मेल की लिस्ट से होती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि Presolve360 द्वारा अदावाकर्तागण को दिनांक 16.11.2022 को 16:42:48 पर एक ई–मेल प्रेषित की गई थी, जो अदावाकर्तागण द्वारा उसी समय 16:42:56 पर देख ली गई थी। उक्त ई–मेल में उल्लेखित सुसंगत तथ्य निम्न प्रकार है :– .....Ayaz Mohammed shall preside as the arbitrator to resolve the dispute between the parties. The experience of the arbitrator is as under: Served as a judge for 35 years under the Hon'ble High Court of Rajasthan. Joined judicial services as a judicial Magistrate and Civil Judge (JD) and retired as a district and Session judge, Rajasthan. Served as President of the District Consumer Forum. Also served as a mediator, conciliator and arbitrator. kop

The Claimant and the Respondent(s) may choose to be represented or assisted by an authorized representative, in which case the appointing party shall submit a letter of authority, format of which is available here. The appointing party shall submit the signed Letter of Authority byu way of an email addressed to Presolv360 at admin@ presolv360.com with the subject "Letter of Authority

In the event the parties desire another arbitrator to resolve their dispute, Presolv360 shall be requested to provide a list of available arbitrators from its panel of Arbitrators, by way of an email addressed to admin@presolv360.com with the subject "Request for list of available arbitrators: (Case ID)". The partiest shall mutually appoint an arbitrator from the said list, failing which, the aforesaid arbitrator shall be confirmed.

इस प्रकार स्पष्ट है कि Presolve360 द्वारा अदावाकर्तागण को दिनांक 16.11.2022 को जरिए ई–मेल एक पत्र प्रेषित कर अदावकर्तागण को इस हेतु सूचित किया था कि श्री अयाज मोहम्मद कुरैशी जोकि राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के 35 वर्षों के अनुभव वाले सेवानिवृत जिला न्यायाधीश है, को एकल पंच रखे जाने वाले पेनल में से एकल पंच बनाया गया तथा पक्षकारान चाहे तो आर्बीट्रेटर्स के पेनल में से दूसरा आर्बीट्रेटर भी आपसी सहमति से चुन सकते हैं तथा ऐसा कर Presolv360 को निवेदन कर सकते हैं। एसा नहीं करने पर उक्त आर्बीट्रेटर को ही नियुक्त कर दिया जाएगा।

इसके विपरीत अदावाकर्तागण द्वारा सम्पूर्ण आपत्ति प्रार्थना–पत्र में यह कहीं उल्लेखित नहीं किया गया है कि उपरोक्त पत्र दिनांक 31.10.2022 व 16.11.2022 का अदावाकर्तागण की ओर से कोई जवाब प्रेषित किया गया था या नहीं, यदि अदावाकर्तागण द्वारा उक्त पत्रों का जवाब प्रेषित किया जाता तो उक्त जवाब पत्रावली पर जरूर उपलब्ध होता, परन्तु ऐसा कोई जवाब पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दावाकर्ता संख्या 1 द्वारा मध्यस्थ नियुक्ति से पूर्व अदावाकर्तागण को इस संदर्भ में एक नोटिस प्रेषित किया था तथा इसके उपरांत श्री अयाज मोहम्मद कुरैशी के एकल पंच नियुक्त किए जाने की सूचना बाबत् Presolv360 द्वारा अदावाकर्तागण को नोटिस प्रेषित किए गए थे, जो अदावाकर्तागण को प्राप्त हो गए थे, जो अदावाकर्तागण को प्राप्त हो गए थे। अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर अदावाकर्तागण की उक्त आपत्ति स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाई जाती हैं।

12. जहां तक अदावाकर्तागण की दूसरी आपत्ति **"माननीय एकल मध्यस्थ द्वारा सम्पूर्ण अवार्ड में यह कहीं उल्लेखित नहीं किया गया है कि प्री–सॉल्व 360 को किस कानून के अन्तर्गत पंच नियुक्ति का अधिकार है"** का प्रश्न है, इस संबंध में अदावाकर्तागण द्वारा

25/7/24
न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय क्रम–3
जयपुर महानगर द्वितीय

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर
महानगर–द्वितीय (राज.)

COMMERCIAL COURT No.3 • JAIPUR METRO-II • सत्यमेव जयते

अपने आपत्ति प्रार्थना–पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि प्री–सॉल्व 360 के द्वारा अदावाकर्ता संख्या 2 को मध्यस्थ नियुक्त किया गया है, परन्तु माननीय एकल मध्यस्थ द्वारा सम्पूर्ण अवार्ड में यह कहीं उल्लेखित नहीं किया गया है कि प्री–सॉल्व 360 को किस कानून के अन्तर्गत पंच नियुक्ति का अधिकार है। केवल माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को ही पंच नियुक्ति का अधिकार है।

इसके विपरीत **दावाकर्ता संख्या 1 का** इस संबंध में अपने जवाब में यह कथन रहा कि भारत सरकार के Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, New Delhi ने एफ. नम्बर ए–60011/97/2018 एडमिन– III (एल.ए.) दिनांक 18.09.2020 को एक सूची ऐसी ए.डी.आर. केडर की जारी की थी, जो अपनी वेबसाईट पर ऑन लाईन डिसप्यूट रिजयोल्युशन (ओ.डी.आर.) सेवाओं सहित सभी Alternative Dispute Resolution (ADR) की सेवाए दे रही थी। इस सूची में Preslov360 भी एक ADR सेन्टर के रूप में सूचीबद्ध एवं शामिल है, जो किसी भी पक्ष से संबद्ध या हितबद्ध नहीं होकर पार्टीज को प्रशासनिक/तकनीकी सर्पोट, किसी हित के टकराव के बिना, प्रदान करती है, इसलिए Presolv360 पर प्रकरण आर्बीट्रेशन के लिए रजिस्टर्ड होने के पश्चात मामले की प्रकृति, पंच की योग्यता, उपलब्धता आदि के आधार पर प्रारम्भिक तौर पर पेनल में से अदावाकर्ता संख्या 2 श्री अयाज मोहम्मद कुरैशी को एकल पंच रखे जाने वाले पेनल में से एकल पंच बनाया गया था।

अदावाकर्तागण की उक्त आपत्ति के संबंध में भारत सरकार के Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, New Delhi द्वारा जारी पत्र के सुसंगत भाग का यहां उल्लेख किया जाना न्यायसंगत होगा, जो इस प्रकार है :–

To make the Act in consonance with the global development in the field of arbitration, amendments have been undertaken in 2015 and 2019. However, in the year 2020 the pandemic COVID-19 has impacted the world in several ways. Although the Supreme court has allowed the online filling and hearing of cases, one cannot neglect the fact that the judiciary is already overburdened and heavly clogged with tons of cases. An improvised and efficient solution is required to ease pressure on courts. This can be done by the Alternate Dispute Resolution (ADR).

In this regard, the department of Legal Affairs (DoLA) is considering the hosting of list of institutions offering Alternate Dispute Resolution services including through Online Dispute Resolution (ODR) on its website. It may be recalled that earlier the said list was hosted on the website of Department of Justice.

मध्यस्थता के क्षेत्र में वैश्विक विकास के अनुरूप अधिनियम बनाने के लिए 2015 और 2019 में संशोधन किए गए हैं। हालांकि वर्ष, 2020 में कोविड–19 महामारी ने दुनिया को कई तरह से प्रभावित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को ऑनलाईन भरने और सुनवाई की अनुमति दी है, परन्तु इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि न्यायपालिका पहले से ही बहुत अधिक बोझिल है, इसलिए अदालतों पर दबाव कम करने के लिए एक सुधारित और कुशल समाधान की आवश्यकता है। यह काम वैकल्पिक विवाद समाधान (ए.डी.आर) के माध्यम से किया जा सकता है। इस संबंध में विधिक कार्य विभाग अपनी वेबसाईट पर ऑनलाईन विवाद समाधान (ओ.डी.आर.) सहित वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं की सूची होस्ट करने पर विचार कर रहा है, जो पहले न्याय विभाग की वेबसाईट पर होस्ट की गई थी।

इसी कम में भारत सरकार के Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, New Delhi द्वारा जारी Alternate Dispute Resolution services

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर
महानगर–द्वितीय (राज.)

COMMERCIAL COURT No.3 • JAIPUR METRO-II • सत्यमेव जयते

न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय क्रम–3
जयपुर महानगर द्वितीय

(ADR) केडर की सूची के क्रम संख्या 12 पर Presolv360 का नाम उल्लेखित है। इससे यह स्पष्ट है कि Presolv360 वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं में से एक है, जिनके द्वारा विवादों के समाधान हेतु माध्यस्थों की नियुक्ति की जाकर माध्यस्थ कार्यवाहियां संचालित की जाती है।

इसके अलावा दावाकर्ता संख्या 1 का अपने जवाब में यह भी अभिवचन रहा कि **"कार्यवाही को आसान बनाने के लिए दावाकर्ता संख्या 1 ने स्वयं एकल पंच की नियुक्ति नहीं कर अधिनियम, 1996 की धारा 2(6) व धारा 6 का अवलम्ब लेते हुए उत्पन्न ईश्यू का समाधान करने के लिए प्रशासनिक/तकनीकी आदि सहायता के लिए उपयुक्त संस्था या व्यक्ति का मूल्यांकन किया।"**

दावाकर्ता संख्या 1 द्वारा लिए गए उक्त बचाव के संबंध में अधिनियम, 1996 की धारा 2(6) व धारा 6 का यहां उल्लेख किया जाना समुचित होगा, जो इस प्रकार है :–

2. Definitions.....

(6) Where this part, except section 28, leaves the parties free to determine a certain issue, that freedom shall include the right of the parties to authorise any person including an institution, to determine that issue.

6. Administrative assistance. In order to facilitate the conduct of the arbitral proceedings, the parties, or the arbitral tribunal with the consent of the parties may arrange for administrative assistance by a suitable institution or person.

उक्त धाराओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ कार्यवाही के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए ~~मध्यस्थ~~ पक्षकारों की सहमति से किसी व्यक्ति या संस्था को माध्यस्थ कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जा सकता है अर्थात प्रत्येक पक्षकार किसी मुद्दे के निस्तारण हेतु किसी भी व्यक्ति को, जिसमें संस्था भी शामिल है, उक्त मुद्दे के निर्धारण हेतु अधिकृत कर सकता है। उक्त प्रकरण में भी Presolv360 जोकि एक संस्था है, के द्वारा पक्षकारान के मध्य विवाद निस्तारण हेतु दावाकर्ता संख्या 1 की प्रार्थना पर मध्यस्थ की नियुक्ति की गई है, जो किसी भी रूप में विधिविरूद्ध नहीं पाई जाती है। अतः आपत्तिकर्तागण की उक्त आपत्ति भी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

13. आपत्तिकर्ता की तृतीय आपत्ति यह है कि **"दावाकर्ता संख्या 2 द्वारा पंच कार्यवाही की सूचना कभी भी अदावाकर्तागण को नहीं दी गई थी। अवार्ड में सूचना वॉट्स–ऐप के जरिए दिया जाना बताया गया है, जो कानून के खिलाफ है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वॉट्स–एप के जरिए कराई गई तामील को अवैध माना है।"**

उक्त आपत्ति के संबंध में दावाकर्ता संख्या 1 का अपने जवाब आपत्ति प्रार्थना–पत्र में यह कथन है कि यहां अदावाकर्तागण की यह आपत्ति निराधार है, उन्हें कभी किसी कार्यवाही की सूचना कानूनी रूप से दावाकर्ता संख्या 2 द्वारा नहीं दी गई तथा वॉट्सऐप पर सूचना देना भी पूर्णतया असत्य है क्योंकि अभिलेख से यह स्पष्ट प्रकट है कि अदावाकर्तागण को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से हर स्तर पर उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रोनिक एड्रेस पर सूचनाएं, आदेशिकाएं आदि भेजी गई हो, जो उन्हें हर बार मिली भी है, उसका प्रमाण यह है कि अदावाकर्तागण ने ऐसी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्राप्त अवार्ड के आधार पर ही यह प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है।

अदावाकर्तागण की उक्त आपत्ति के संबंध में न्यायालय का यह मत है कि माननीय एकल मध्यस्थ द्वारा उभय पक्षकारान को दिनांक 21.11.2022 को धारा 12 के तहत अपनी उद्घोषणा प्रेषित की गई थी। इसके पश्चात दिनांक 01.12.2022 को दावाकर्ता संख्या 1 द्वारा क्लेम प्रस्तुत करने के उपरांत अदावाकर्तागण को अपना जवाब प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 17.12.2022, 19.01.2023, 04.02.2023 व 20.

न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय क्रम–3
जयपुर महानगर द्वितीय

COMMERCIAL COURT No.3 JAIPUR METRO

केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा वाणिज्यिक न्यायालय जयपुर महानगर (राज.)

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर
महानगर–द्वितीय (राज.)

02.2023 निर्धारित की गई थी, परन्तु इसके पश्चात भी अदावाकर्तागण न तो माध्यस्थ कार्यवाही में उपस्थित हुए ना ही जवाबदावा प्रस्तुत किया। इसके उपरांत माननीय एकल मध्यस्थ द्वारा दिनांक 07.04.2023 को अवार्ड पारित कर दिया गया, जिसकी सूचना अदावाकर्तागण को माननीय एकल मध्यस्थ द्वारा Presolv360 के माध्यम से जरिए ई–मेल प्रेषित की गई थी, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध Presolv360 द्वारा अदावाकर्तागण को भेजी गई ई–मेल की सूची व वॉट्सऐप की प्रति से होती है, जिसमें यह स्पष्टतः उल्लेखित है कि दिनांक 17.12.2022, 19.01.2023, 04.02.2023 व 20.02.2023 को अदावाकर्तागण को माननीय एकल मध्यस्थ द्वारा दी गई डायरेक्शन जरिए ई–मेल व वॉट्सऐप प्रेषित की गई थी एवं ये सभी ई–मेल व वॉट्सऐप मैसेज अदावाकर्तागण को प्राप्त हो गए थे एवं अदावाकर्तागण द्वारा देख लिए गए थे। इसके उपरांत दिनांक 07.04.2023 को पारित अवार्ड की हस्ताक्षरित प्रति भी अदावाकर्तागण को जरिए ई–मेल वॉट्सऐप 08.04.2023 को प्रेषित कर दी गई थी, जो अदावाकर्तागण को प्राप्त हो गई थी एवं अदावाकर्तागण द्वारा देख ली गई थी। उक्त सूची में Presolv360 द्वारा अदावाकर्तागण को ई–मेल व वॉट्सऐप मैसेज भेजे जाने, अदावाकर्तागण को उक्त ई–मेल व मैसेज डिलीवर होने व अदावाकर्तागण द्वारा उक्त ई–मेल व वॉट्सऐप ओपन किए जाने व उक्त ई–मेल व मैसेज देखे जाने का समय तक अंकित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि माननीय एकल मध्यस्थ द्वारा उक्त प्रकरण में की गई समस्त कार्यवाही की सूचना अदावाकर्तागण को जरिए ई–मेल प्रेषित की गई थी, जो अदावाकर्तागण को प्राप्त भी हो गई थी।

इस संबंध में अदावाकर्तागण कर मात्र यह बचाव रहा है कि "अवार्ड में सूचना वॉट्स–ऐप के जरिए दिया जाना बताया गया है, जो कानून के खिलाफ है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वॉट्स–एप के जरिए कराई गई तामील को अवैध माना है।"

यहां न्यायालय का यह मत है कि दावाकर्ता संख्या 1, माननीय एकल मध्यस्थ व Presolv360 द्वारा अदावाकर्तागण को समस्त सूचनाएं, क्लेम, दस्तावेज व अवार्ड अदावाकर्तागण द्वारा ऋण आवेदन पत्र में अंकित किए गए ई–मेल आईडी "ambekeshwarsteels@gmail.com" तथा वाट्सएप मोबाईल नं. 9829014498 एवं 9413342105 पर प्रेषित किए गए थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि माध्यस्थ कार्यवाही से संबंधित समस्त सूचनाएं, क्लेम, दस्तावेज व अवार्ड केवल वॉट्सऐप पर ही नहीं, बल्कि जरिए ई–मेल भी प्रेषित किए गए थे, जिस बाबत् सम्पूर्ण साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। इसके विपरीत अदावाकर्तागण द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अदावकार्तागण को उनके विरूद्ध जारी अवार्ड की जानकारी किस प्रकार प्राप्त हुई, जबकि माननीय एकल मध्यस्थ द्वारा अवार्ड की हस्ताक्षरित प्रति केवल मात्र जरिए ई–मेल व वॉट्सऐप ही अदावाकर्तागण को प्रेषित की गई थी तथा इसके अलावा अदावाकर्तागण द्वारा न्यायालय के समक्ष यह भी साबित करने में पूर्णतया विफल रहे कि अदावाकर्तागण को तकनीकी रूप से जरिए ई–मेल व वॉट्सऐप सूचनाएं प्रेषित किया जाना किस प्रकार विधि विरूद्ध व अवैध है। इस प्रकार उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर अदावाकर्तागण की उक्त आपत्ति भी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाई जाती है।

14. आपत्तिकर्ता की चतुर्थ व अंतिम आपत्ति यह है कि **"दावाकर्ता संख्या 1 द्वारा 16 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगाया गया है, जो ब्याजदर कभी भी तय नहीं हुई थी।"**

उक्त आपत्ति के संबंध में अदावाकर्तागण का अपने आपत्ति प्रार्थना–पत्र में यह

न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय क्रम–3
जयपुर महानगर द्वितीय

COMMERCIAL COURT No.3 JAIPUR METRO-II सत्यमेव जयते

केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा वाणिज्यिक न्यायालय जयपुर महानगर–द्वितीय (राज.)

प्रमाणित प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर
महानगर–द्वितीय (राज.)

कथन है कि **"अदावाकर्तागण द्वारा जब दावाकर्ता संख्या 1 से ऋण लिया गया था, तब दावाकर्ता संख्या 1 ने अदावाकर्तागण से खाली प्रिंटेड दस्तावेजात पर हस्ताक्षर करवा लिए गए थे तथा अदावाकर्तागण के आपत्ति करने पर दावाकर्ता संख्या 1 एक द्वारा यह बताया गया था कि यह बैंक की प्रक्रिया है, जो शर्तें आपसे तय हुई हैं, उन्हीं शर्तों को खाली कागजों पर भर लिया जाएगा। इसके अलावा अदावाकर्तागण द्वारा दावाकर्ता संख्या 1 को किश्तों की अदायगी किए जाने के बावजूद भी दावाकर्ता संख्या 1 द्वारा अत्यधिक ब्याज व शास्तियों की मांग की गई।"**

उक्त आपत्ति के संबंध में दावाकर्ता संख्या 1 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में यह कथन किया गया है कि **"अदावाकर्तागण द्वारा दावाकर्ता संख्या 1 से ऋण लिया गया था, परन्तु अदावाकर्तागण की यह आपत्ति रही कि ऋण लेते समय उनसे खाली प्रिंटेड फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए गए थे, जबकि निष्पादन के समय ही ऋण दस्तावेजात की एकप्रति अदावाकर्तागण को दे दी गई थी, जिसमें अंकित दर से ब्याज व ऋण अवधि के आधार पर मासिक किश्तों की राशि का निर्धारण किया गया, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए थे व बाद में मनगढंत ढंग से अत्यधिक ब्याजदर आदि अंकित की गई थी। अगर वास्तव में ऐसा था तो उक्त प्रकार से किश्तों, ब्याज व शास्ति ब्याज की अदायगी अदावाकर्तागण द्वारा नहीं की गई होती व तत्समय ही आपत्ति कर ली जाती या नोटिस देकर या किसी प्राप्त नोटिस के उत्तर में यह आपत्ति की जाती, परन्तु ऐसा नहीं किया जाकर प्रथम बार यह आपत्ति उक्त आपत्ति प्रार्थना–पत्र में ली गई है।"**

इस आपत्ति के संबंध में न्यायालय का यह मत है कि अदावाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना–पत्र में न तो यह कहीं उल्लेखित किया गया है कि पक्षकारान के मध्य कितनी ब्याजदर तय हुई थी ना ही यह कहीं बताया गया है कि दावाकर्ता संख्या 1 द्वारा अदावाकर्तागण से अत्यधिक ब्याज की वसूली करने पर अदावकार्तागण द्वारा कोई लिखित आपत्ति दावाकर्ता संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। यदि अदावाकर्तागण द्वारा कोई लिखित आपत्ति की भी गई थी तो इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उक्त पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत दावाकर्ता संख्या 1 द्वारा माध्यस्थ कार्यवाही में माननीय एकल मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत ऋण आवेदन पत्र में स्पष्टतः 16 प्रतिशत ब्याजदर का उल्लेख है। इसके उपरांत भी माननीय एकल मध्यस्थ द्वारा दावाकर्ता संख्या 1 को बकाया ऋण राशि पर दिनांक 16.11.2022 से भुगतान की दिनांक तक 12 प्रतिशत की दर से ब्याज दिलवाया गया है। इस संबंध में सुसंगत विधिक प्रावधान धारा 31 (7) अधिनियम 1996 में इस प्रकार हैः–

(7) (a) *Unless otherwise agreed by the parties, where and insofar as an arbitral award is for the payment of money, the arbitral tribunal may include in the sum for which the award is made interest, at such rate as it deems reasonable, on the whole or any part of the money, for the whole or any part of the period between the date on which the cause of action arose and the date on which the award is made.*

(b) *A sum directed to be paid by an arbitral award shall, unless the award otherwise directs, carry interest at the rate of two percent. Higher than the current rate of interest prevalent on the date of award, from the date of award to the date of payment.* *(As amended by act no. 3 of 2016 Wef 23-10-2015)

इस प्रकार स्पष्ट है कि धारा 31(7) अधिनियम 1996 के दो पृथक व सुभिन्न भाग हैं, जिसमें से **प्रथम भाग माध्यस्थ कार्यवाही के दौरान की अवधि के ब्याज** बाबत् व **द्वितीय भाग अवार्ड की तिथि से भुगतान की तिथि तक भविष्यवर्ती ब्याज** के संबंध में है। **प्रथम भाग के अनुसार** पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार नहीं होने की स्थिति में धन संदाय हेतु पारित पंचाट में माननीय मध्यस्थ/मध्यस्थ अधिकरण सम्पूर्ण धन पर या उसके किसी भाग पर **मामला स्वयं को रेफर होने की तिथि से अवार्ड/पंचाट की तिथि**

COMMERCIAL COURT No.3 JAIPUR METRO-II सत्यमेव जयते

केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा वाणिज्यिक न्यायालय जयपुर महानगर द्वितीय (राज.) सत्यमेव जयते

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर
महानगर–द्वितीय (राज.)

25/7/24
न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय क्रम–3
जयपुर महानगर द्वितीय

के बीच की सम्पूर्ण अवधि या उसके किसी भाग के लिए ब्याज दिला सकता है धारा में स्पष्टतः शब्द ***"जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न पाया जाए"*** प्रयुक्त किये गये हैं जिससे स्पष्ट है कि यदि पक्षकारान के मध्य ब्याज नहीं दिये जाने का करार हो तो मध्यस्थ को उसी करार अनुरूप अवार्ड राशि पर ब्याज के संबंध में आदेश पारित करना होगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ब्याज नहीं दिए जाने का करार पक्षकारों में होने पर मध्यस्थ अवार्ड राशि पर माध्यस्थ कार्यवाही के दौरान कोई ब्याज नहीं दिला सकता है। पक्षकारों में करार नहीं होने की स्थिति में माध्यस्थ कार्यवाही कालीन ब्याज हेतु मध्यस्थ/मध्यस्थ अधिकरण उचित आदेश पारित कर सकता है।

जहां तक अवार्ड की तिथि से भुगतान की तिथि तक दिलवाए जाने वाले भविष्यवर्ती ब्याज का संबंध है, अवार्ड की तिथि दिनांक 06.04.2023 को प्रभावी विधिक उपबंध धारा 31(7)(B) अधिनियम, 1996 के अनुसार विद्वान एकल मध्यस्थ अधिनिर्णित राशि पर अवार्ड की तिथि को प्रचलित ब्याज की दर से 2 प्रतिशत उच्चतर दर पर ब्याज अवार्ड की तिथि से वसूली की तिथि तक दिलवायेगा, यदि अवार्ड में कोई अन्यथा निर्देश नहीं हो। स्पष्टीकरण के अनुसार प्रचलित ब्याजदर का अर्थ ब्याज अधिनियम की धारा 2 (B) के अनुसार होगा। माननीय एकल मध्यस्थ द्वारा दिनांक 16.11.2022 से भुगतान की तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलवाया गया है, जो तत्समय प्रचलित राष्ट्रीयकृत बैंकों की ब्याजदर को देखते हुए धारा 31(7) अधिनियम, 1996 के समादेश अनुरूप ही प्रतीत होता है। इस प्रकार उपरोक्त समग्र विवेचन के आधारा पर अदावाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत उक्त आपत्ति भी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

अतः उक्त समग्र परिस्थितियों में अदावाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाए जाने से अस्वीकार किया जाता है।

आदेश

परिणामतः अदावाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 34 मध्यस्थता एंव सुलह अधिनियम, 1996, अस्वीकार किया जाकर माननीय एकल मध्यस्थ द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 06.04.2023 की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है।

मध्यस्थ का तलबशुदा अभिलेख Rule 49 of Manual of Procedure for Alternative Disputes Resolution 2009 के अनुसार पत्रावली के साथ अभिलेखागार मे जमा कराया जावे।

COMMERCIAL COURT No.3 JAIPUR METRO-II सत्यमेव जयते

25/7/24
(अनु अग्रवाल)
न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय क्रम 3
जयपुर महानगर द्वितीय

आदेश आज दिनांक 25.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/7/24
(अनु अग्रवाल)
न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय क्रम 3
जयपुर महानगर द्वितीय

केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा वाणिज्यिक न्यायालय जयपुर महानगर द्वितीय (राज.) सत्यमेव जयते
प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर
महानगर–द्वितीय (राज.)